



Neutral Citation No. -2026: AHC:178949

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 29952/2026

संतोष दुबे

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता

: अविनाश कुमार सिंह

विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री अविनाश कुमार सिंह, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, श्री राम कुमार वर्मा को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
- वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 116/2026, धारा 85, 80(2), 238, 351(3) बी.एन.एस. तथा धारा 3/4 अधिनियम, थाना केराकत, जनपद जौनपुर, में विचारण के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक मृतका का ससुर है। मृतका की मृत्यु तीसरी गर्भावस्था के पश्चात लम्बी बीमारी, कमजोरी तथा लगातार रक्तस्राव के कारण हुई। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि चिकित्सक के बयान तथा चिकित्सकीय पर्चे के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु स्वाभाविक थी तथा परिस्थितियाँ संदिग्ध नहीं थीं। तथापि, आवेदक यह स्पष्ट नहीं कर सका कि मृतका का अंतिम संस्कार उसके माता-पिता को सूचित किए बिना क्यों कर दिया गया। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि मृतका अपने पति के साथ अलग कमरे में रहती थी तथा मृतका और उसके पति के मध्य विवाद था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पूर्व में मृतका के पति ने आत्महत्या करने का प्रयास किया था, जिसे मृतका की माता ने भी अपने बयान में स्वीकार किया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का मृतका और उसके पति के विवाद से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वह अपनी पत्नी के साथ मकान के अलग हिस्से में रहता था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विवाह के सात वर्ष के भीतर अप्राकृतिक परिस्थितियों में हुई मृत्यु के मामले में दहेज मृत्यु की उपधारणा लागू

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है । सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करने के लिए यह दर्शाने हेतु पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए कि मृत्यु से ठीक पहले मृतका के साथ क्रूरता की गई थी, जबकि वर्तमान मामले में ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त रीमा (सास) को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 24465/2026 में दिनांक 04.08.2026 के आदेश के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। अतः समानता के आधार पर आवेदक भी जमानत पर रिहा किए जाने का पात्र है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस द्वारा आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, अतः अभिरक्षा में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 25.04.2026 से जेल में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. दूसरी ओर, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए और जेलों में अत्यधिक भीड़ तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को भी ध्यान में रखते हुए, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **कपिल वधावन बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** में प्रतिवेदित, के निर्णय में निर्धारित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, तथा मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, मैं इस मत का हूँ कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का पात्र है। तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

6. आवेदक- **संतोष दुबे**, उपर्युक्त अपराध में संलिप्त, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वादा नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, विचारण/जांच में निष्ठापूर्वक सहयोग करेगा।

(iii) जमानत पर रिहा होने के पश्चात आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि अथवा किसी अपराध के किए जाने में संलिप्त नहीं होगा।

(iv) आवेदक द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार वह न्यायालय में उपस्थित होगा।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है । सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।
8. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक तथा जमानतदारों की पहचान, हैसियत एवं निवास संबंधी प्रमाण का सत्यापन किया जाएगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई इस आदेश की प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा तथा संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस प्रति का सत्यापन कर इस आशय का वचन दिया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।
10. निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से रिहाई आदेश संबंधित जेल को भेजेगा।
11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के द्वारा पालिसी स्ट्रेटेजी फॉर ग्रांट ऑफ़ बेल, इन री: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 4/2021 दिनांक 31.01.2023 को निर्णित, (2024) 10 एससीसी 685 में प्रतिवेदित तथा रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169/2025, पिला पाहन @ पीला पाहन एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, 29.05.2026 को निर्णित, में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में, आवेदक को 24 घंटे के अंदर प्रेषित की जाए।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

अगस्त 24, 2026